कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज।

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

ज्ञापांक................../जि.गो.
[..]
दिनांक 2017

बिहार सरकार

फोन नं.: 06456-222530, 222535
फैक्स नं.:06456-222626, 225480
ई-मेल :-dm-kishanganj.bih@nic.in

-आदेश-

प्रायःदेखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित मासिक बैठकों के लिए स्थानीय पदाधिकारी द्वारा अंतिम समय पर संचिका/प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाता हैं जिससे ससमय निर्णय नहीं होने की स्थिति में बैठक में ससमय प्रतिवेदन भेजना एवं भाग लेना संभव नहीं हो पाता है जो अत्यंत हीं खेदजनक बात है। भविष्य के लिए विभागीय बैठकों से संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि विभागीय कैलेंडर के अनुरूप या विभाग द्वारा पृथक रूप से सूचना प्राप्त होने पर स्वयं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अनुमोदन प्राप्त कर बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर सारी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर निर्धारित की जायगी।

यह भी देखा जा रहा है पदाधिकारी द्वारा विभागीय बैठक में भाग लेने के पश्चात अगले कार्य दिवस को किशनगंज मुख्यालय उपस्थित नहीं होते हैं मुख्यालय पहुॅच कर पहुॅचने की सूचना नही दी जाती है। कई बार अधोहस्तक्षरी द्वारा खोज करने पर तथा दूरभाष पर सम्पर्क किये जाने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया जाता है कि वो मुख्यालय में नहीं हैं जो अत्यंत ही खेदजनक स्थिति है।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया जाता है कि भविष्य में विभागीय बैठक में भाग लेने के पश्चात् उसी दिन किशनगंज मुख्यालय के लिए प्रस्थान करना सुनिश्चित करेंगे तथा मुख्यालय आगमन के पश्चात् बैठक में लिये गये निर्णयों एवं दिये गये निदेशों से संबंधित प्रतिवेदन एवं अपनी उपस्थिति प्रतिवेदन के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायगा एव विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाय।

ह0/-
(पंकज दीक्षित,भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक--876--/सी.,दिनांक--17.05.2017

प्रतिलिपिः-सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/05/17
(पंकज दीक्षित,भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।